संख्या- 6 /2017 / 1676 सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 31 जुलाई, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखानुदान के माध्यम से प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** हेतु शक्कर विशेष निधि के अधीन प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक सेवायें/साज-सज्जा/सामग्रियों की विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 06.06.2017 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में **कार्यसूची संख्या-7** के अनुसार, नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक सेवायें/साज-सज्जा/सामग्रियों की विभिन्न मदों में व्यय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह **(माह अप्रैल से माह अगस्त, 2017)** के लिए, **संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार,** कुल **रू.35.42 लाख (रूपया पैंतीस लाख बयालिस हजार मात्र) को** आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय शक्कर विशेष निधि के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं शासनादेश संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

3- नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय में निर्माण कार्यों को कराने के पूर्व निदेशक, लालबहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., की अनापत्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जायेगी तथा निर्माण कार्यों में व्यय होने वाली धनराशि का समायोजन संस्थान को किराये की मद में भुगतान की जाने वाली धनराशि से कर लिया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य व्यय/ मद पर वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत. शासनादेशों /निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, उ.प्र.,इलाहाबाद एवं गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ/शासन को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्टआफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि **संलग्न सूची** में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

7- आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत के प्रस्ताव के आगणन अधिशासी अभियंता से ही तैयार कराये जायें। निदेशक तात्कालिकता तथा वरीयता का निर्धारण स्वयं करेंगे तथा इस संबंध में व्यय की जा रही धनराशि की कार्ययोजना/आगणन पर तथा अन्य व्ययों के संबंध में सुसंगत नियमों/आदेशों के अनुपालन सहित, नियमानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासन का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

9- आवश्यक उपकरणों के क्रय/कार्यालय प्रयोगार्थ कार्य किराये पर लिये जाने एवं अन्य अनुरक्षण संबंधित क्रय के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/ आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकतानुसार शासन का पूर्व अनुमोदन भी अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि **रू.35.42 लाख** को, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24(राजस्व लेखा) के अधीन लेखा शीर्ष-**''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-03-गन्ना-0301-**उ.प्र. **गन्ना अनुसन्धान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42-अन्य व्यय''** के नामे डाला जाएगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

संख्या- 6 /2017 / 1676 (1)सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- संयोजक, उ.प्र. शक्कर विशेष निधि समिति।

5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., इलाहाबाद।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1

8- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 6 /2017/1676सी.डी./46-3-17-02(श.वि.नि.)/2016, दिनांक 31 जुलाई, 2017 का संलग्नक

(वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह हेतु)

अ- आवर्तक व्यय:- **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0 सँ0	मद का नाम	प्रथम पांच माह हेतु स्वीकृत धनराशि
1	तीन लिफ्टों के वार्षिक अनुरक्षण तथा आपरेटर की सेवाओं हेतु	0.50
2	बहुमंजिला भवन एवं परिसर, न्यू स्कालर हास्टल भवन की सफाई, सैनिटेशन व्यवस्था एवं रख रखाव	3.00
3	फायर फाइटिंग सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण एवं आपरेटर हेतु	1.00
4	बहुमंजिला भवन के बेसमेंट में स्थापित जनरेटर एवं न्यू स्कालर हास्टल में लगे जनरेटर एवं फायर प्रोटेक्शन इंजन के वार्षिक अनुरक्षण, डीजल एवं मरम्मत	1.40
5	कार्यालय भवनों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु	8.50
6	ए.सी., वाटर कूलर, एक्वागार्ड एवं आर.ओ. के वार्षिक अनुरक्षण/मरम्मत पर होने वाला सम्भावित व्यय	2.00
7	बहुमंजिला भवन, न्यू स्कालर हास्टल में वाह्य एवं आन्तरिक विद्युतीकरण, इलेक्टिशियन का पारिश्रमिक, वाटर सप्लाई एवं सैनिटेशन का कार्य तथा उपरोक्त भवनों में माईनर सिविल कार्य एवं अन्य मरम्मत आदि हेतु	2.00
8	गन्ना आयुक्त कार्यालय में स्थापित ई.ए.पी.बी.एक्स. के वार्षिक अनुरक्षण हेतु	0.40
9	गन्ना आयुक्त कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर, फोटोस्टेट मशीनों के क्रय एवं वार्षिक अनुरक्षण तथा कन्ज्यूमेबिल मदों हेतु	4.50
10	कार्यालय प्रयोगार्थ किराया पद्धति से गत वर्षो के लम्बित टैक्सी बिलों, टैक्सी हायर किये जाने तथा आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उ.प्र., के प्रयोगार्थ विभागीय वाहनों के ईधन एवं रख-रखाव हेतु	6.00
11	कार्यालय में नेटवर्किंग, इन्टरनेट, ब्राण्डबैण्ड सेवा तथा नेटवर्किंग के वार्षिक अनुरक्षण एवं कार्यालय में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगवाने हेतु	2.00
12	कार्यालय व्यय, इन्टीरियर डेकोरेशन, अतिथि कक्ष के रखरखाव, साज-सज्जा, जलपान, स्टेशनरी, विविध कार्य एवं आकस्मिक व्यय हेतु	3.00
13	आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उ.प्र., के कार्यालय में बहुमंजिला भवन के पीछे स्थापित ट्यूबवेल के फेल होने के कारण एक नये ट्यूबवेल को कराये जाने पर व्यय हेतु	**1.12**
	योग-	**35.42**

(रूपया पैंतीस लाख बयालिस हजार मात्र)

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in